न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.108/प्रा.पत्र/2023 (GCMS No. 2023/149)	11.07.2023	23.07.2024

रामसुख मालव पुत्र रामनारायण उर्फ नारायण मालव,
जाति धाकड़, निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील व जिला बून्दी।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. घासी पुत्र नारायण जाति धाकड़
   निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील व जिला बून्दी।
2. रामस्वरूप पुत्र नारायण जाति धाकड़
   निवासी ग्राम सुन्दरपुरा, तहसील व जिला बून्दी।
3. आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम लोईचा,
   जर्ये तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी बून्दी (जिला बून्दी)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–

प्रार्थी की ओर से श्री कमलेश त्रिपाठी एडवोकेट।
अप्रार्थी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 3 की ओर से पेरोकार सरकार।

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 1 को पत्रावली संख्या 835/आवंटन/1975 पर किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 366 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा एवं 382 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम लाईचा आवंटन आदेश दिनांक 18.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 108/2023 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर GCMS No.2023/149 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं.1 व 2 के बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 30.01.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिला अभिलेखागार से मूल आवंटन पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि सेटलमेंट संवत 2028 से 2047 की जमाबंदी के खाता संख्या 123 की कृषि भूमि खसरा सं.366 रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा, ख.सं. 420 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं ख.सं. 421 रकबा 3 बीघा 01 बिस्वा वाकेग्राम लाईचा में स्थित है को फाड़कर प्रार्थी एंव अप्रार्थी सं.1 व 2 के पिता नारायण ने काबिल काश्त बनाया था। स्वर्गीय नारायण ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमियों के साथ ही ग्राम सुन्दरपुरा में स्थित अन्य भूमियों सहित अपनी सम्पूर्ण भूमियो का बंटवारा अपने तीनों पुत्रों प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.1 व 2 के मध्य बराबर बराबर किया था। उक्त सिवायचक भूमि खसरा सं. 366 में आधी भूमि प्रार्थी रामसुख के हिस्से में एवं आधी भूमि अप्रार्थी सं. 2 रामस्वरूप के हिस्से मे आई तथा इस भूमि ख.सं. 366 में अप्रार्थी सं.1 घासी के हिस्से में कोई भूमि नहीं आई, जबकि अन्य भूमि ख.सं. 420 व 421 अप्रार्थी सं.1 घासी के हिस्से में रही। वर्तमान में भी पक्षकार उक्तानुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन दिनांक 15.06.2023 को अप्रार्थी सं.1 द्वारा भूमि खसरा सं.366 को अपने नाम करवा लिये जाने एवं उस पर प्रार्थी का कोई हिस्सा नहीं होने की बात बताई गई। तब प्रार्थी द्वारा भूमि के राजस्व रिकार्ड की जांच करवाई गई। जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी सं.1 ने तथ्यों को छिपाकर भूमि खसरा सं. 366, 420 एवं 421 अपने पक्ष में आवंटन करवा लिये जाने की प्रथम बार जानकारी हुई। तब प्रार्थी द्वारा आवंटन पत्रावली की नकल हेतु दिनांक 26.09.23 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, दिनांक 03.07.23 को नकल प्राप्त होते ही उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की गई। ग्राम लाईचा की उक्त भूमि खसरा सं. 366 जो अप्रार्थी सं.1 घासी को दिनांक 18.11.1975 को आवंटित की गई, उस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.2 का प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त रहा है तथा आवंटी का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है और न ही वर्तमान में उसका कब्जा काश्त है। अप्रार्थी सं.1 द्वारा आवंटन परामर्शदात्री समिति से तथ्यों को छुपाते हुई कब्जे की जांच करवाई बिना ही आवंटन करवा लिया है, ऐसे में उक्त आवंटन विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में ग्राम लोईचा की आराजी ख.सं.366 का दिनांक 18.11.1975 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज करने का निवेदन किया गया।

अति. कलक्टर, बूंदी

राजकीय अभिभाषक ने तर्क किया कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन विधिसम्मत है, वक्त आवटन उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेज उसकी ओर प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त आराजी वर्तमान में आवंटी की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। इतने समय के पश्चात आवंटन को चुनौती देना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि घासी आ. नारायण कौम धाकड़ निवासी ग्राम लोईचा को पत्रावली सं. 835/आवंटन/1975 पर दिनांक 18.11.1975 को भूमि खसरा संख्या 366 रकबा 3 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा संख्या 382 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाकेग्राम लोईचा का आवंटन किया गया है। जिस पर प्रार्थी द्वारा आपत्ति प्रकट की गई कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का पुराना कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी सं.1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे, जबकि पेरोकार सरकार का तर्क रहा कि प्रार्थी के पास पुराने कब्जे का कोई सबूत नहीं है, प्रार्थना पत्र असाधारण विलम्ब से पेश किया गया तथा आवटी को नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है।

यहा उल्लेखनीय है कि आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं किये जाने पर कृषि प्रयोजनार्थ भू आवटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही सक्षमन्यायालय मे पेश करने का अधिकार भूमिधारी तहसीलदार को है, किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा आवंटन के 45 वर्ष से अधिक अवधि गुजर जाने के बाद पेश किया गया है, जो नियमान्तर्गत नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 अनुसार वादग्रस्त आराजी पर घासी पुत्र नारायण जाति धाकड़ निवासी सुन्दरपुरा खातेदार दर्ज रेकार्ड होना प्रमाणित है। इस प्रकार आवटी को प्राप्त खातेदारी अधिकार को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस हेतु प्रार्थी चाहे तो अपने अधिकारों की घोषणा का वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु हस्तगत प्रार्थना पत्र पर वह कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत नियमानुसार चलने योग्य नहीं पाया गया, ऐसे में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफतर करवाई जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर बून्दी
जिला कलक्टर, बून्दी